

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पाटनदीन पुत्र बब्लू नि० बरइन पुरवा मौजा नउवा गांव थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-252/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुधरा देवी उर्फ सोनू पत्नी स्व० राम प्रेम बरुवार निवासिनी कोटिया बरुआरपुरवा मौजा बनकसिया शिवरतन सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-303/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजू पुत्र छद्दन नि० किनकी सिसवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 100 पाउच अवैध कच्ची शराब व परिवहन में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद कर मु०अ०सं०-374/21, धारा 60/72 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेसनोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 10.10.2021

24 घण्टे के अन्दर जिला निर्वाचन कार्यालय में हुई चोरी की घटना का खुलासा,
शतप्रतिशत धनराशि रू0 8,20,750 /— बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 07.10.2021 को विकास भवन स्थित जिला निर्वाचन कार्यालय के लॉकर में रखा रू0 8,20,750 /— चोरी हो गया था जिसके सम्बन्ध में श्री नारायण सहायक जिला निर्वाचन अधी0 ने थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया था। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने तत्काल एसओजी/सर्विलांस, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड व फिंगर प्रिन्ट टीम को मौके पर भेजकर साक्ष्यों का संकलन कराया गया था तथा इस चोरी की घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने एवं चोरी में लिप्त अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश प्रभारी को0 नगर व एसओजी/सर्विलांस को दिए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गए इन्ही निर्देशों के अनुक्रम में थाना को0 नगर व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से शतप्रतिशत चोरी की गयी धनराशि बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।

थाना को0नगर व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यो व सुरागरसी-पतारसी कर चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों- 01. नन्द कुमार (जिला निर्वाचन कार्यालय का सफाईकर्मी), 02. पवन कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गयी शतप्रतिशत धनराशि रू0 8,20,750 /— बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त नंद कुमार ने बताया कि वह जिला निर्वाचन कार्यालय में सफाईकर्मी है, प्रतिदिन वह हस्ताक्षर बनाने जहाँ जाता था उसी कमरे के लॉकर में रखे हुए रुपये उसने देखा था, लालचवश उन रूपयों को हासिल करने हेतु योजना बनाकर अपने गांव के ही साथी अभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 07.10.2021 की रात्रि में विकास भवन के पिछले चैनल से घुसकर कार्यालय का ताला खोलकर दराज से चाभी निकालकर लॉकर में रखे रू0 8,20,750 /— चोरी कर लिए थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

01. नन्द कुमार पुत्र गया प्रसाद नि0 वीरपुर दूबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. पवन कुमार पुत्र छेदी लाल कोरी नि0 वीरपुर दूबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0-775/21, धारा 409 भादवि, तरमीम धारा 380,381,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

रू0 8,20,750 /— बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 पंकज कुमार सिंह थाना को0 नगर मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल जनपद गोण्डा
दिनांक 10.10.2021

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मुकेश वर्मा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मुकेश वर्मा पुत्र स्व० रामनारायन नि० बालकराम पुरवा देवतहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-253/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ०नि० हरिद्वार तिवारी मय टीम।

